

90

अनुसूचक - अ

(प्राकृतिक आपदा/अग्निकाण्ड से हुए नुकसान की सहायता हेतु प्रार्थना पत्र)

प्रावेत :-

श्रीमान् तहसीलदार/कलक्टर महोदय,

तहसील/जिला शेरगढ/जोधपुर
(राज)

विषय :- प्राकृतिक आपदा/अग्निकाण्ड से हुए नुकसान पर नियमानुसार सहायता प्रदान करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. प्रार्थी का नाम देवी कंवर पिता/पति का नाम खेत सिंह
2. जाति राजपुरी हिंदू उम्र 53
3. ग्राम जाटी गाँव तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
4. प्राकृतिक आपदा का विवरण अतिवृष्टि
5. आपदा घटित होने का दिनांक 19.07.25
6. आपदा से प्रभावित क्षेत्र.....
7. आपदा से प्रार्थी को हुई क्षति का विवरण:-

(क) जन क्षति (मृतक/घायल) का विवरण (यदि कोई हो).....

(ख) पशु क्षति का विवरण (यदि कोई हो).....

(ग) अवासीय भवन/झोपड़ी की क्षति का विवरण (यदि कोई हो) आपदी

(घ) कृषि भूमि/फसल की क्षति का विवरण (यदि कोई हो).....

(ङ) अन्य कोई क्षति चक्रवात व चर्रा, चरे लाला

8. पुलिस में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (यदि कोई हो) की संख्या..... दिनांक.....

कृपया सब प्रकार से प्रार्थी को हुई क्षति के लिये आपदा मोचन निधि के मानदण्डानुसार सहायता शीघ्र स्वीकृत कराने का श्रम करे।

दिनांक.....

प्रार्थी

हस्ताक्षर

नाम देवी कंवर

सो.....

प्राकृतिक आपदा में सहायता राशि स्वीकृत करने हेतु अनुशांषा/सिफारिश प्रमाण पत्र

अनुसंलग्नक - ब

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन अनुभाग के परिपत्र 33-03/2020-एनडीएम-दिनांक 10.10.2022 के अनुसार निम्नलिखित सारणी में आपदा से प्रभावित परिवारों की सूचना निम्नानुसार है-

पिडीत/मृतक/घायल व्यक्ति का नाम देवी कबर पति/पिता का नाम रेवत सिंह
 जाति राजपुरोहित गांव जारी भावू तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर
 घटना की तिथि 19.09.25 क्षति का कारण अतिवृष्टि

परिपत्र संख्या 33-03/2020 एनडीएम- दि 10.10. 2022 के अनुसार में अंकित क्रम संख्या	परिपत्र अनुसार देय राशि का विवरण	अनुशांषा की गई देय राशि
1 अनुप्राहिक राहत	(क) मृतक व्यक्ति हेतु 4,00,000/- रु. प्रति मृतक (ख) शरीर के किसी अंग अथवा आंख/आंखों की हानि होने पर अनुग्रह राशि - (1) 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत क्षति 74,000/-रु. प्रति व्यक्ति। (2) 60 प्रतिशत से अधिक क्षति 2,50,000/-रु. प्रति व्यक्ति। (ग) गंभीर रूप से घायल/मोट के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर - (1) एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में अंतरंग रोगी के रूप में भर्ती रहने के मामले में 16,000/-रु. प्रति व्यक्ति हेतु (2) एक सप्ताह से कम अस्पताल में भर्ती रहने के मामले में 8,000/-रु. प्रति व्यक्ति हेतु नोट :- आनुमान भारत योजना के तहत छपभार प्रायः करने वाले व्यक्ति इस मद के तहत राहत के लिए पात्र नहीं होंगे। (घ) किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जिनकी घर पानी में बह गए हैं/पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं/को दिन से अधिक पानी में डूब हुए हैं, उन परिवारों कपड़े व बर्तन/धरतू सामान - (1) कपड़ों के लिए 2500/-रु. प्रति परिवार (2) बर्तन/धरतू सामान हेतु 2500/-रु. प्रति परिवार	- - - - 5000
6 पशु क्षति	पशुधन के लिए क्षतिपूर्ति (केवल लघु एवं सीमांत कारखानों तथा मूनिहीन पशु मालिकों के लिए) दुधारू पशु - 37,500/-रु. भैंस/गाय/ऊट/याक/मिथुन आदि 4,000/-रु. भेड़/बकरी/सूअर आदि गैर दुधारू - 32,000/-रु. ऊट/घोड़ा/बैल आदि 20,000/-रु. बछड़ा/गधा/टट्ट/खच्चर/हेफर आदि नोट - पशुओं की संख्या की अधिकतम देय राशि - 3 बड़े दुधारू पशु या 50 छोटे दुधारू पशु/3 बड़े गैर दुधारू पशु या 6 छोटे गैर दुधारू पशु प्रति परिवार निम्नानुसार अधिकतम एक ही श्रेणी के पशु के लिए सहायता देय होगी।	- - -
10 आवासीय क्षति	आवासीय क्षति होने पर देय सहायता राशि :- (क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त/नष्ट हुए घर और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त घर (1) पक्का घर/कच्चा घर - 1,20,000/-रु. प्रति घर (मिदानी इलाकों) व 1,30,000/-रु. प्रति घर (पहाडी क्षेत्रों) (तकनीकी रिपोर्ट आवश्यक है) (ख) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान(झोपड़ियों के सिवाय) जहां क्षति कम से कम 15 प्रतिशत है (1) पक्का घर - 60,000/-रु. प्रति घर (2) कच्चा घर - 40,000/-रु. प्रति घर (3) झोपड़ियाँ/नष्ट झोपड़ियाँ :- 80,000/-रु. प्रति झोपड़ी नोट :- क्षतिग्रस्त घर राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित एक अधिकृत निर्माण होना चाहिए। (घ) पशु बाड़ा - 30,000/-रु. प्रति शेड	- - 8000 6000 योग 19000

नोट :- आपदा प्रकरणों में मृतकों से संबंधित पोस्टमार्टम रिपोर्ट व एफआरआर रिपोर्ट संलग्न करें।

कुल राशि रूपय दस लाख रुपये के भुगतान की अनुशांषा की जाती है।

देवी कबर
(देवी कबर)
पटवारी (भूज)
तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर (रज.)

अनमोल शेरगढ़
तहसीलदार शेरगढ़
जिला जोधपुर

अपखण्ड अधिकारी शेरगढ़
जिला जोधपुर

तहसीलदार द्वारा अनुसंधान प्रतिवेदन

1. परिवार के मुखिया का नाम/पिता का नाम व जाति :- देवी कंवर / रेवत सिंह

2. परिवार के सदस्यों का नाम व संख्या :-

क्र.सं.	नाम	उम्र	आवेदक से संबंध
1.	राशन कार्ड की छापा प्रति संलग्न है ,		

3. हानि की अनुमानित राशि रुपये में :- 11,000/-

4. आर्थिक स्थिति (सम्पत्ति भूमि इत्यादि का विवरण) गरीब

5. सिफारिश की गई सहायता राशि :- विधमानुसार

मैं प्रमाणित करता हूँ कि :-

1. यह कि दुर्घटना आकस्मिक थी और यह प्राकृतिक आपदा की अधिसूचित श्रेणी में आती है।
2. यह सरकार द्वारा सहायता देने हेतु यह एक पर्याप्त प्राकृतिक दुर्घटना है।
3. व्यक्ति की लगभग सम्पत्ति नष्ट होने से आपात स्थिति उत्पन्न हुई है एवं यदि तत्काल सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है तो जीवन को खतरा अथवा आश्रय के अभाव में व्यक्ति की स्थिति हो सकती।

हस्ताक्षर पटवारी
(देवी कंवर)
पटवारी (पू.अ.)
तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर (राज.)

तहसीलदार शेरगढ़
जिला जोधपुर
तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़
जिला जोधपुर

प्राकृतिक आपदा / अग्निकाण्ड में हुई क्षति का विवरण

- परिवार के मुखिया का नाम देवी कंवर जाति राजपुरोहित
- पता :- जाटी भाठू
- परिवार के सदस्यों की संख्या :- 10
- दुर्घटना से सम्बन्धित खराबा अथवा नष्टिकरण की अनुमानित राशि :- 11,000/-
- पशुधन की हानि :- -
- भवन :- -
- अन्य घरेलू सामान :-

1	कपड़े	6	नगदी	11	झोपड़ी	8000
2	वर्तन	7	घारपाई	12	अन्य कोई	
3	बिस्तर	8	चार	13		
4	अनाज	9	खाद्य सामग्री	14		
5	गहने	10	पशु वाड़ा	15		

- कुल अनुमानित नुकसान की राशि $5 + 6 + 7 =$ 11,000/-
- जन हानि संबंधी विवरण (यदि कोई तो) :- -
- परिवार की आर्थिक स्थिति(पीड़ित)मय सम्पत्ति व भूमि इत्यादि का विवरण कमज़ीर

नोट:- क्षतिग्रस्त या नष्ट मकान/झोपड़ी/पशुबाड़ा/पशु/घरेलू सामान दमोत नहीं है तथा उक्त मकान/झोपड़ी सरकार की किसी योजना के तहत आवंटित नहीं किया गया है तथा किसी योजना के तहत कोई सहायता नहीं दी गई है। क्षतिग्रस्त मकान अधिकृत मकान होकर राज्य सरकार के सबन प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित हो। पीड़ित परिवार को किसी अन्य योजना के तहत सहायता नहीं दी गई है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री देवी कंवर पति श्री रेवत सिंह
 जाति राजपुरोहित निवासी जाटी भाठू की अपने परिवार के सदस्यों
 सहित समस्त रत्रांत से वार्षिक आय रूपये 50,000 अक्षर पचास हजार मात्र है।

100
 पटवारी
 (देवी लाल)
 पटवारी (भू.अ.)
 तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर (राज.)

आमा
 तहसीलदार शेरगढ़
 तहसील जोधपुर

100
 उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़
 जिला जोधपुर

प्राकृतिक आपदा/अग्निकाण्ड सहायता में क्षतिग्रस्त भवन/झोपड़ी हेतु जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र

प्राथी का नाम :- देवी कंवर पति का नाम रेवत सिंह

प्रमाण पत्र

“ BEING A COMPETENT AUTHORITY OF THE STATE GOVERNMENT I CERTIFY THAT DAMAGED HOUSE/HUT IN THIS CASE IS AUTHORISED CONSTRUCTION ”

पञ्चमाक्षरी

हस्ताक्षर पटवारी
(देवी लाल)
पटवारी (पू.अ.)
तहसील शेरागढ़ जिला जोधपुर (राज.)

तहसीलदार शेरागढ़
जिला जोधपुर

उत्तराण्ड अधिकारी शेरागढ़
जिला जोधपुर

लघु व सीमान्त काश्तकार प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि देवी कंवर पिता का नाम रेवत सिंह
जाति राजपुरोहित निवासी धारी भाण्डू तहसील शेरगढ़
जिला जोधपुर जिसके खसरा नम्बर ५२२ रकबा (हेक्टर) २ बीघा
बिस्वा है। जो कि लघु व सीमान्त काश्तकार की श्रेणी में आता है।

सीमान्त ३७२

हरताक्षर पटवारी
(देवी नाल)
पटवारी (भू.अ.)
तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर (राज.)

आमिण्ड
काश्तकार शेरगढ़
जिला जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
जिला जोधपुर

बैंक विवरण की सूचना

क्र. सं.	बैंक पास बुक अनुसार लाभान्वित खाता धारक का नाम	बैंक का नाम	शाखा का विवरण	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	मोबाईल नं.
1	DEVI KANWAR	SBI	SHER GARH	61262933 998	SBIIN00 31267	

1. उक्त सूचना के सभी विवरण अंग्रेजी में पास बुक अनुसार अंकित करें।
2. पास बुक की प्रति जिसमें खाता संख्या अंकित है संलग्न करें।

खाता धारक के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर पटवारी
 (देवी कानवार)
 पटवारी (पु.अ.)
 तहसील शेराढ़ जिला जोधपुर (राज.)

तहसीलदार शेराढ़
 जिला जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी शेराढ़
 जिला जोधपुर

दिनांक 19.07.2025 को अत्यधिक वर्षा होने से अमृतसर
 बलेसर में बने हुए खांडू को पाल दूधने से गाम पंचायत
 भाण्डू जाती में पानी का बहाव होने से हुए नुकसान का आंक
 करते दिनांक 20.07.2025 21.07.2025 को हम रहे हल्का
 पटवारी दासाविद्या, सीमेशर, शाबरसर एवं भू अ कि खिरजा
 के साथ गाम के मोहविम मोह विरान्, सरपंच, वाई पंच
 परिवारों के रुबरु मोवा देखे गया। मोहे पर कई परिवारों
 घरों में पानी 5 से 6 फीट तक एवं कई घरों में एक से दो फीट
 तक पानी भरा हुआ पाया गया। कई घर सलंगन सूची अनुसार
 पूर्ण क्षतिग्रस्त, आंशिक क्षतिग्रस्त एवं जल मग्न पाये गये।
 सलंगन सूची अनुसार घरों एवं खरीफ फसलों में नुकसान होना
 पाया गया। कई परिवारों में पशुधर हानि भानि जान बक
 भेड़ इत्यादि पानी के बहाव से क्राने से मृत्यु होना पाया गया
 अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ की हालत होने से सर्वे कार्य अवरुधि
 गया जिसकी सर्वे रिपोर्ट अलग से बनाई जा रही है।

मोवा रिपोर्ट उपस्थित मोहविरान् के रुबरु
 तैयार कर पढ़कर सुनवाई गई। सभी ने सही होना स्वीकार
 कर अपने अपने हस्ताक्षर अ. वि. नि. मे।

पटवारी
 सीमेशर

भुवनेश्वर
 पटवारी सिमेशर

पटवारी दासाविद्या साबरी पटवारी भाण्डू जाती

दिनांक 20/07/25
 अमृतसर



रवली

अमृतसर

अमृतसर

अमृतसर

अमृतसर

अमृतसर